न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, वैशाली, हाजीपुर ।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–492 / 2026
अभिषेक कुमार उर्फ अमरषेक बनाम बिहार सरकार
बिदुपुर थाना कांड सं0–136 / 2026
अंतर्गत धारा– 331(4), 305, 317(2), 317(5) 3(5)बी0एन0एस0

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–494 / 2026
अभिषेक कुमार बनाम बिहार सरकार
बिदुपुर थाना कांड सं0–136 / 2026
अंतर्गत धारा– 331(4), 305, 317(2), 317(5) 3(5)बी0एन0एस0

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–483 / 2026
मुन्ना कुमार बनाम बिहार सरकार
बिदुपुर थाना कांड सं0–136 / 2026
अंतर्गत धारा– 331(4), 305, 317(2), 317(5) 3(5)बी0एन0एस0

आदेश

18-04-2026 आवेदक **अभिषेक कुमार उर्फ अमरषेक** की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका दि0 09.04.2026 तथा आवेदक **अभिषेक कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका दि0 09. 04.2026 तथा आवेदक **मुन्ना कुमार** की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका दि0 08.04.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता प्रचालित करते हुए न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि आवेदक ने किसी भी अन्य न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक का नाम इस मामले में नही है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए पहले आवेदन नहीं किया है। आवेदक अभिषेक कुमार पर बिदुपुर थाना कांड सं0–502 / 2024 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है तथा आवेदक मुन्ना कुमार पर कुल पांच आपराधिक मामले दर्ज है। आवेदकगण दिनांक–20.03.2026 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी कोई घटना कारित नही हुई हुई थी, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। आवेदक का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। सूचक ने आवेदक को घटना स्थल पर नहीं देखा था, लेकिन आवेदक के शत्रुओं के कहने पर पुलिस ने उसे झूठा फंसाया। पुलिस ने इस मामले में आवेदक की संलिप्तता की पहचान करने के लिए सूचनात्मक जांच (टी0आई0पी0) नहीं की है। आवेदक के पास से या उसके कब्जे से कोई भी संदिग्ध या प्रतिबंधित वस्तु बरामद नही हुई है। डायरी के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने आवेदक के विरूद्ध एक शब्द भी नही कहा है, सह–अभियुक्त के बयान को छोड़कर, जिसे आवेदक नहीं जानता है। पुलिस ने आवेदक के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खाली कागज पर आवेदक के हस्ताक्षर लिये। आवेदक को कथित घटना स्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक अन्य सह–अभियुक्त को नही जानता है। आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। अतः आवेदक को जमानत दी जाय।

विद्वान एपीपी द्वारा आवेदन का विरोध किया गया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका बबीता देवी दिनांक–17.03.2026 को समय करीब 10 बजे रात्री में अपने पूरे परिवार के साथ सो गये थें। दिनांक–18.03.2026 को सुबह करीब 02 बजे रात्री में शौच करने के लिए उठे तो जिस रूम में सूचिका सोई हुई थी, उस रूम का गेट बाहर से बंद था, तो सूचिका चिल्लाई वो मेरे गोतनी सुधा देवी और मेरे रूम के गेट खोली तो सूचिका बाहर आई तो देखा कि उसका दो रूम का और गेट खुला हुआ है था तो वह उस रूम में गई तो देखा कि

Date of Judgment/Order	18-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	-
Uploading Date	21-04-2026
Uploaded by	Jamiruddin Ansari, C.R Cum D.W

Web copy not official

बक्सा का ताला टूटा हुआ है और उसके बक्सा में रखा गहना कान का बाली तीन पीस जितिया, चैन मंगलसुत्र और अंगुठी सभी सोना का पायल दो जोड़ा चांदी का जिसका कीमत करीब 05 लाख रूपया, नगद 10000/– रूपया एवं अन्य सामान एवं उसकी बड़ी गोतनी का पतोह सपना का भी मंगलसुत्र, झुमका दोनों सोना का नगद करीब दो लाख बीस हजार रूपया, नगद 7200/– रूपया सब चोरी हो गया था।

आवेदकगण दिनांक–20.03.2026 से न्यायिक हिरासत है तथा केस डायरी की कंडिका–04 में वादिनी ने अपने बयान में तथा कंडिका–05, 06 एवं 07 में साक्षियों ने अपने अपने बयान में प्राथमिकी एवं घटना का समर्थन किया है तथा आवेदकगण के विरूद्ध इस कांड के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के घर में घुसकर घर का सामान रूपया तथा गहना चोरी करने का गंभीर आरोप है तथा केस डायरी के कंडिका 14 में आवेदक मुन्ना कुमार का अपराध स्वीकारोक्ति बयान भी अंकित है, जिसमें उसने अन्य दोनों आवेदकों की घटना में संलिप्तता के सन्दर्भ में कथन किया है तथा उसके पश्चात जप्ती सूची अंकित है तथा कडिका 18 में दूसरी जप्ती सूची अंकित है, जिसमें गहना एवं रूपया बरामद हुआ है तथा कंडिका–19 में तीसरी जप्ती सूची अंकित है, जिसमें चाकू एवं ताला खोलने वाला पिन आदि बरामद किया गया है तथा कंडिका–23 में आवेदक अभिषेक कुमार का अपराध स्वीकारोक्ति बयान अंकित है, जिसमें उसने अन्य दोनों आवेदकगण संलिप्तता के संबंध में कथन किया है तथा कंडिका–27 में मुन्ना कुमार का आपराधिक इतिहास अंकित है, जिसमें उसके विरूद्ध इसी प्रकृति के अन्य दो अपराध और अंकित है तथा कंडिका–52 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभिषेक कुमार, पिता–भोला पासवान एवं आवेदक मुन्ना कुमार पर एक अन्य कांड और दर्ज है तथा कांड में अनुसंधान के क्रम में **अभियुक्तगण के पास से चोरी किया गया सामान, रूपया तथा गहना बरामद किया गया है तथा अभी इस कांड में अनुसंधान जारी है तथा यदि, आवेदकगण अभी जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो अनुसंधान प्रभावित होने की संभावना है।**

उपरोक्त विवेचन, वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता तथा वाद के इस प्रक्रम पर, जबकि इस वाद में अनुसंधान जारी है, मैं आवेदक/अभियुक्त **अभिषेक कुमार उर्फ अमरषेक, अभिषेक कुमार एवं मुन्ना कुमार** को नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं युक्ति–युक्त नहीं समझता हूं। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **अभिषेक कुमार उर्फ अमरषेक, अभिषेक कुमार एवं मुन्ना कुमार** का नियमित जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है। आवेदकगण चाहे तो, आरोप गठन के पश्चात् पुनः नियमित जमानत हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिस पर वि0 विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करेंगे।

लेखापित

(उमेश कुमार शर्मा)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश –VIII

Date of Judgment/Order	18-04-2026
Date of Reserving Judgement/ Order	-
Uploading Date	21-04-2026
Uploaded by	Jamiruddin Ansari, C.R Cum D.W

web copy not official